वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2006

आय-कर

का.आ. 1571(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शहरी गैर-श्रमिक कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल, 2005 से प्रारंभ होने वाले और 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में पचहत्तर प्रतिशत की औसत वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल, 2006 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लागतस्फीति सूचकांक विनिर्दिष्ट करती है और उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना सं. का.आ. 709(अ), तारीख 20 अगस्त, 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :–

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं. 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्त: स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

"26	2006-2007	519"।

[अधिसूचना सं. 270/2006/फा. सं.142/27/2006-टीपीएल]

संबित त्रिपाठी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना में समय-समय पर संशोधन किया गया था और अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित का.आ. 1132(अ), तारीख 12-8-2005 द्वारा किया गया।